रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97 REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 697] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 1997/अग्रहायण 21, 1919
No. 697] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 1997/AGRAHAYANA 21, 1919

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त का कार्यालय

अधिसूचना सं. 1/97-सीमा शुल्क (आ. सू.) (बी जेड)

बेंगलूर, 2 दिसम्बर, 1997

का. आ. 861(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 152, खंड (अ) के अधीन, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 1 जुलाई, 1994 की अधिसूचना सं. 33/94, सीमाशुल्क (अ.सू.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) की धारा 9 के अधीन कर्नाटक राज्य के बेगूर होब्ली, बेंगलूर, दक्षिण तालुक में स्थित "सिन्गासन्द्रा" गाँव को गोदाम (वेयरहाऊस) घोषित किया जाता है।

[फाइल सी. सं. VIII/40/97-सी सी (बी एल आर)]

एन. ओबराय, सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

NOTIFICATION NO. 1/97-CUS(NT)/(BZ)

Bangalore, the 2nd December, 1997

S.O. 861(E).—In exercise of the powers conferred by Notification No. 33/94-CUS-(NT) dated 1st July, 1994 by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi under Clause (a), Section 152 of Customs Act, 1962, "SINGASANDRA" village, Begur Hobli, Bangalore South Taluk, Bangalore of Karnataka State is hereby declared to be a warehousing station under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[File C. No. VIII/40/97-CC(BLR)]

N. OBHRAI, Chief Commissioner of Customs & Central Excise.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997